उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 680 /सोलह-प्रा०शि०-2-2012-33(ई)/09टी०सी०
लखनऊ : दिनांक :: 26 जुलाई,2012

नियुक्ति/विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ०प्र० में प्रवक्ता/व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता/व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के पदों पर वेतनमान रू0 15600-39100 (ग्रेड वेतन रू0-5400) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें निम्नलिखित तालिका के कालम-4 में उल्लिखित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं वे तैनाती की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे:-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम सर्वश्री/श्रीमती/कु0-	स्थायी पता	तैनाती संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	शैलेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री जयप्रकाश मौर्य	ग्राम कुशौला, पोस्ट-तामेश्वरनाथ देवरिया, थाना-खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर
2.	विकास कुमार सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह	द्वारा रघुवीर सिंह, मिर्जापुर पोस्ट निहटौर, जिला-बिजनौर, उ0प्र0 246733	राजकीय महिला पालीटेक्निक, मुरादाबाद
3.	सुशील कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द	ग्राम नगरीपार, पोस्ट-कुरल्गां थाना-दोहरीघाट, जिला-मऊ उ0प्र0	छत्रपति शाहूजी महाराज, राजकीय पालीटेक्निक, अम्बेडकर नगर

2- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य [illegible] भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। इस तैनाती के लिए उपर्युक्त [illegible] को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि [illegible] कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्[illegible] ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

4- उक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।